

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा

प्रकरण संख्या 15/2025 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये घनश्याम सिंह सोलंकी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
भीलवाडा

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र रायमल गुर्जर मैसर्स
सवाईभोज मावा भण्डार, सालरमाला,
तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

- प्रार्थी

-विपक्षी

**जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं
दण्डनीय धारा 51**

उपस्थित-

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 03.06.2025

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी सोहनलाल पुत्र रायमल गुर्जर मैसर्स सवाईभोज मावा भण्डार, सालरमाला, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को खोआ व अन्य खाद्य पदार्थ का विक्रय कर रहा था। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2024 को समय 2.30 पी.एम. पर बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु सोहनलाल पुत्र रायमल गुर्जर मैसर्स सवाईभोज मावा भण्डार, सालरमाला, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा पर पहुंचा। मौके पर विपक्षी विक्रेता उपस्थित मिला। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। विक्रेता ने बताया कि उक्त फर्म का मालिक वह स्वयं है।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में विक्रेता को 160/-रु. नगद देकर खोआ जांच हेतु खरीदा एवं रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये गये जिस पर

पूणे प्रेषित किया गया। रैफरल लेब की जांच रिपोर्ट फर्म को प्रेषित की गयी, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला रैफरल लेब पूणे की जांच रिपोर्ट सं. आरएफएल/डीओ-678/24/ 802 दिनांक 17.12.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, खोआ निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने में खोआ में **Total Solids - 47.4%** पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह **Shall not be less than 55.0% on dry weight basis** होना चाहिये था। इसी प्रकार खोआ में **B.R. of extracted fat at 40°C - 47.5** पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह **40.0 to 44.0** होना चाहिये था। इसी प्रकार खोआ में **R.M. Value - 5.58** पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह **Not less than 24.0** होना चाहिये था। इसी प्रकार खोआ में **Milk fat on dry basis 20.51%** पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह **Not less than 30%** होना चाहिये था। इसी प्रकार खोआ में **Titrateable acidity (as % Lactic Acid) 3.41%** पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह **shall not be more than 0.9%** होना चाहिये था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड खोआ विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी खोआ का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड खोआ का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप विपक्षी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत 52,000/रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



न्याय निर्णय अधिकारी एवं जस्ट्रेट
अति. जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- 2 सोहनलाल पुत्र रायमल गुर्जर मैसर्स सवाईभोज मावा भण्डार, सालरमाला, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत करे।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं जस्ट्रेट
अति. जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)